न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 251/2012

1 जगदेव (फौत)।
1/1 मोहनी देवी उम्र 53 वर्ष पत्नी जगदेव।
1/2 सन्तोष देवी उम्र 32 वर्ष पुत्री जगदेव।
1/3 विजेन्द्र उम्र 30 वर्ष पुत्र जगदेव।
1/4 विनोद उम्र 27 वर्ष पुत्र जगदेव।
1/5 महेश उम्र 25 वर्ष पुत्र जगदेव।
2 मालू पुत्र मंगला समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र बिड़दीचन्द।
2 राधाकिशन, पुत्र बिड़दीचन्द।
3 रामप्रताप पुत्र बिड़दीचन्द समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 प्रभु पुत्र मंगला जाति यादव निवासी लीला की ढ़ाणी तन रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व डिक्री दिनांकित 26.10.2012 (जिसे डिक्री में 23.10.2012 अंकित किया गया है) निर्णय दिनांकित 11.08.2011 दावा संख्या 84/03 बउनवानी जगन्नाथ बनाम जगदेव आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर डिक्री में पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश कुमार सहल आर.ए.एस एवं निर्णय के पीठासीन अधिकारी श्री जे.त्यागी आर.ए.एस. दावा बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा तथा कब्जा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री भानूप्रकाश यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2003 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंटस ने प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1219,1234 ग्राम रानोली प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रवर अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, साक्ष्य लेखबद्व किये बिना, आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय अंकित नही कर विधिक प्रकिया की अवहेलना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2011 को चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व तक पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थी अर्थात दिनांक 23.06.2011 को वादीगण के गवाह उपस्थित थे परन्तु उक्त तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी महोदय दौरा पर होने के कारण पूर्व आदेशानुसार तारीख पेशी दिनांक 19.07.2011 को नियत की गई उक्त तारीख पेशी की आदेशिका के अनुसार पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त था उसके पश्चात दिनांक 11.08.2011 को आदेशिका में बहस सुनी जाना अंकित करके निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय में निर्णय की जानकारी अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा नही दी गई। दिनांक 02.10.2012 को निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(1) पेज 93, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1283, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 813, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1141, आर.एल.डब्ल्यू 2003(1) आर.जे. पेज 431, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1157, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1378 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण रेस्पोडेंटस् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया हुआ है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2011 को चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व तक पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थी अर्थात दिनांक 23.06.2011 को वादीगण के गवाह उपस्थित थे परन्तु उक्त तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी महोदय दौरा पर होने के कारण पूर्व आदेशानुसार तारीख पेशी दिनांक 19.07.2011 को नियत की गई उक्त तारीख पेशी की आदेशिका के अनुसार पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त था उसके पश्चात दिनांक 11.08.2011 को आदेशिका में बहस सुनी जाना अंकित करके निर्णय पारित कर दिया। जबकि प्रकरण में दिनांक 29.03.2010 को न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम की गई थी, स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, साक्ष्य लेखबद्व किये बिना, आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय अंकित नही कर विधिक प्रकिया की अवहेलना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वार पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर